



ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070

PRESS RELEASE

APPROVAL PROCESS YEAR 2020-21

A pragmatic shift in the annual approval process was necessitated and adopted by AICTE by innovating the entire process through a novel online mechanism for undertaking the scrutiny of documents and virtual visit of the technical institutions. The lockdown imposed due to the outbreak of COVID-19 had created severe challenges to all sectors of governance. AICTE converted the current crisis into grand opportunity by adopting e-governance mechanisms thereby reducing the costs with no travel and enhancing the reliability, accuracy and overall transparency of the regulatory process.

The approval process for year 2020-2021 was a considerable departure from the previous years on several counts. Due to the imposition and subsequent extensions of lockdown, the approval process was delayed. It was initiated in the month of May 2020 and was completed in end Jun 2020. Moreover, the rigorous scrutiny which heretofore was undertaken physically at various regional offices was conducted via an online process. This involved using online Video-Conferencing for stakeholders to connect, verification of infrastructure & campus facilities virtually and uploading digitally signed documents.

Even though new Management and Polytechnic Engineering Institutes have added seats, there has been reduction in AICTE Approved Seats for Academic Year 2020-2021 which is attributable to the following:

1. As per recent Supreme Court judgement, for functioning of existing & setting up of new Architecture and Pharmacy colleges, approval of only 'Council of Architecture' and 'Pharmacy Council of India' respectively will be mandatory w.e.f. Academic Year 2020-2021. As a result, the approval of AICTE has been made non-mandatory. Consequently, many of these colleges have withdrawn their affiliation & approval from AICTE resulting in bulk reduction of seats. **Effectively, the seats of pharmacy & architecture have now been taken over by their respective regulatory bodies.**
2. Few AICTE Approved Colleges have not sought approval this year in view of large number of seats lying vacant over the last 5 years thus making it unviable for continuing the institution.
3. As per AICTE Policy & Guidelines, there has been 50% reduction in seats in colleges where, enrolment has been less than 30 percent of approved intake consecutively for last 5 years.

Details of Seats / Institutes are at Annexure – A.

AICTE Approval Process Statistics 2020 - 21

Sl. No.	Description / Particulars	Seats	Institutes
Academic Year 2019-20			
01	Total Seats & Institutes Sanctioned for AY 2019-20	32,09,703	10,992
Academic Year 2020-21 : Reduction in seats			
02	Total Seats & Institutes Sanctioned for AY 2020-21	30,88,512	9,691
03	Number of Seats and Institutes reduced as a result of Hon'ble Supreme Court judgement rendering approval of AICTE non mandatory in respect of Architecture & Pharmacy institutes. These seats are <u>not abolished</u> but continuing with PCI & COA.	1,09,316	1,252
04	Seats & Institutes reduced due to closure of the institute for AY 2020-21	34,553	179
05	Seats / Institutes reduced due to Reduction in Intake (Course Closure/Division Closure) for AY 2020-21	69,965	762
06	Seats / Institutes reduced due Non Submission of Application for AY 2020-21 Approval (Other than Sr no 3 Institutions)	40,578	134
07	Seats / Institutes reduced due to Punitive Action by AICTE for AY 2020-21 (No Admission/Withdrawal of Approval)	8,832	44
Academic Year 2020-21 : New Seats			
08	Number Seats / Institutes added due to Approval of New institutes for AY 2020-21	39,656	164
09	Total Seats / Institutes added due to Application for new courses / increase in Intake in existing Institutes for AY 2020-21	1,02,397	1,311

Date: 26-07-2020



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110070

प्रेस विज्ञप्ति

अनुमोदन प्रक्रिया सत्र 2020-21

AICTE द्वारा वार्षिक अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया को नवीन रूप देकर एक नए दृष्टिकोण से ऑनलाइन माध्यम के जरिये से पूर्ण किया गया जिसमें आभासी दस्तावेजों की जांच एवं सर्वेक्षण को पहली बार अपनाया गया। COVID-19 के प्रकोप के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने शासन के सभी क्षेत्रों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर दी थीं। AICTE ने ई-गवर्नेंस तंत्र को अपनाकर मौजूदा संकट को भव्य अवसर में बदल दिया, जिससे बिना किसी यात्रा के लागत कम हो गई और नियामक प्रक्रिया की विश्वसनीयता, सटीकता और समग्र पारदर्शिता बढ़ गई।

वर्ष 2020-2021 के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया पिछले वर्षों से कई मामलों में अलग थी। लॉकडाउन लगने और उसके बाद के विस्तार के कारण, अनुमोदन प्रक्रिया में देरी हुई। यह मई 2020 के महीने में शुरू किया गया था और जून 2020 के अंत में पूरा किया गया। सामान्यतया रूप से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में पुख्ता जांच के लिए भौतिक तौर उपस्थिति अनिवार्य होती है। परन्तु इस बार यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित किया गया था। इसमें हितधारकों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करना, बुनियादी ढांचे और परिसर की सुविधाओं का आभासी सत्यापन व डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अपलोड करना शामिल है।

हालाँकि, नए प्रबंधन और पॉलिटैक्निक इंजीनियरिंग संस्थानों ने नवीन सीटें जोड़ दी हों, लेकिन अकादमिक वर्ष 2020-2021 के लिए AICTE स्वीकृत सीटों में कमी आई है। इस प्रवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं:-

1. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 से नए आर्किटेक्चर और फार्मेसी कॉलेजों को स्थापित करने के लिए एवं अनुमोदन जारी करने के लिए क्रमशः केवल 'काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (CoA)' और 'फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI)' की मंजूरी अनिवार्य होगी।। नतीजतन, AICTE की मंजूरी गैर-अनिवार्य कर दी गई है जिसके फलस्वरूप कई कॉलेजों ने AICTE से संबद्धता और अनुमोदन वापस ले लिया है और परिणामस्वरूप सीटों की भारी कमी हुई है। **प्रभावी रूप से, फार्मेसी और आर्किटेक्चर की सीटें अब उनके संबंधित नियामक निकायों द्वारा ले ली गई हैं।**
2. पिछले 5 वर्षों से खाली पड़ी बड़ी संख्या में सीटों के मद्देनजर कुछ संस्था प्रोग्राम को जारी रखने के लिए असमर्थ थे। ऐसे कॉलेजों ने इस वर्ष अनुमोदन नहीं मांगा है
3. AICTE की नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार जिन कॉलेजों में पिछले 5 सालों से एडमिशन 30% से कम रहे, ऐसी संस्थानों में सीटों में 50 % कमी की गयी है।

सीटों / संस्थानों का विवरण अनुबंध- A पर है।

AICTE अनुमोदन प्रक्रिया सत्र 2020 - 21

क्र.	विवरण	सीटें	संस्थान
अकादमिक सत्र 2019 -20			
01	कुल सीटों और संस्थानों को AY 2019-20 के लिए मंजूरी दी गई	32,09,703	10,992
अकादमिक सत्र 2020 – 21 : सीटों में कमीं			
02	AY 2020-21 के लिए कुल सीटें और संस्थान स्वीकृत	30,88,512	9,691
03	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप AICTE का अनुमोदन गैर अनिवार्य होने के कारण आर्किटेक्चर और फार्मेसी की सीटों और संस्थानों की संख्या घट गई हैं। इन सीटों को समाप्त नहीं किया गया बल्कि PCI और CoA के साथ जारी रखा गया है।	1,09,316 *	1,252
04	AY 2020-21 के लिए संस्थान बंद होने के कारण सीटें और संस्थान कम हो गए	34,553	179
05	AY 2020-21 के लिए इंटेक (कोर्स क्लोजर / डिवीजन क्लोजर) में कटौती के कारण सीटें / संस्थान कम हो गए	69,965	762
06	AY 2020-21 स्वीकृति के लिए आवेदन के गैर प्रस्तुतिकरण के कारण सीटें / संस्थान कम	40,578	134
07	AY 2020-21 के लिए AICTE द्वारा दंडात्मक कार्रवाई के कारण सीटें / संस्थान कम हो गए (एडमिशन में कमीं / अनुमोदन स्वतः वापस लेना)	8,832	44
अकादमिक सत्र 2020 – 21 : सीटों में बढ़ोतरी			
08	AY 2020-21 के लिए नए संस्थानों की स्वीकृति के कारण संख्या सीटें / संस्थान जोड़े गए	39,656	164
09	नए पाठ्यक्रम के लिए आवेदन के कारण कुल सीटें / संस्थान जोड़े गए / मौजूदा AY 2020-21 में इंटेक में वृद्धि हुई	1,02,397	1,311

दिनांक: 26-07-2020